न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 88/2021, जिला दौसा

1. रामविलास पुत्र श्री सूर्यनारायण (मृतक)
1/1. शान्ति देवी शर्मा पत्नि रामविलास (नाम हजफ)
1/2. सुरेशचन्द शर्मा पुत्र रामविलास
1/3. दिनेशचन्द शर्मा पुत्र रामविलास
1/4. महेशचन्द शर्मा पुत्र रामविलास
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बेहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।
1/5. सावित्री देवी पुत्र रामविलास पत्नि रमेशचन्द जाति ब्राह्मण निवासी झापडावास तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. कैलाश पुत्र श्री बालासहाय जाति ब्राह्मण निवासी बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा ।
2. जिला कलेक्टर दौसा जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर दौसा दिनांक क्रमांक आर.11 जीपी (180)2013/4532 दिनांक 23.06.2015 जो राजकीय सिवाय चक भूमि खसरा नम्बर 238 में से 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि की किस्म बाग से खारिज कर नवसृजित उप तहसील बहरावण्डा जिला दौसा के कार्यालय भवन निर्माणार्थ आंवटित की गई है।

उपस्थित—
1. वकील अपीलान्ट श्री अशोक कुमार जोशी
2. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 राजकीय अधिवक्ता

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक —02.08.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 23.06.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :—

माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2013—14 की क्रियान्विति हेतु तहसीलदार (भूमिधारी) सिकराय का पत्र क्रमांक 290 दिनांक 19.02.2015 एवं उपखण्ड अधिकारी सिकराय का पत्र क्रमांक 169 दिनांक 23.02.2015 व 1468 दिनांक 5.9.2015 व उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय का पत्र क्रमांक 341 दिनांक 7.4.2015 प्राप्त हुआ। जिसके द्वारा ग्राम बहरावण्डा तहसील सिकराय स्थित राजकीय सिवायचक किस्म बाग भूमि खसरा नम्बर 238 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा में से 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि को नवसृजित उप तहसील कार्यालय बहरावण्डा जिला दौसा के कार्यालय भवन निर्माणार्थ आंवटन करने का प्रस्ताव प्रेषित किया। प्रस्तावित भूमि को उक्त प्रयोजनार्थ आंवटन करने के संबंध में ग्राम पंचायत बहरावण्डा पं.स. सिकराय द्वारा सर्वसम्मत प्रस्ताव सं. 3 दिनांक 20.09.2013 पारित कर अनापत्ति प्रदान की गई। जिला कलक्टर दौसा के आदेश क्रमांकः आर11जीपी(180)2013/4532 दिनांक 23.06.2015 के द्वारा ग्राम पंचायत बहरावण्डा पं.स. सिकराय की अनापत्ति एवं उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय, तहसीलदार (भूमिधारी) सिकराय व उपखण्ड अधिकारी सिकराय की सिफारिश एवं अभिशंषा के आधार पर उनके कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक आर 11जीपी(180)2013/6348—6359 दिनांक 20.09.2013 को निरस्त किया जाकर नवीन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम बहरावण्डा तहसील सिकराय स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 238 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा में से 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि की किस्म बाग से खारिज कर नवसृजित उप तहसील बहरावण्डा तहसील जिला दौसा के कार्यालय भवन निर्माणार्थ (जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा) राजस्थान भू—राजस्व (स्कूलो, कॉलेजो, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि को आंवटन) नियम 1963 यथासंशोधित के प्रावधानों/शर्तों के अन्तर्गत आंवटित किये जाने के आदेश पारित किये गये।

Scanned by CamScanner

जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 23.06.2015 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट मृतक श्री रामविलास पुत्र श्री सूर्यनारायण के वारिसान द्वारा यह अपील मंजूर कर अपीलाधीन आदेश जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 28.09.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 238 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा किस्म बाग आम सिवाय चक दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है। उक्त भूमि में से एक बीघा भूमि पर अपीलान्ट संख्या 1 व 1 बीघा भूमि पर अपीलांट संख्या 2 का बजमाने बुजुर्गान कब्जा चला आ रहा है। खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त सम्वत् 2047 से अपीलांट का कब्जा काश्त उक्त आराजी पर दर्ज है तथा अपीलांट ने उक्त आराजी पर आम के वृक्ष लगा रखे हैं तथा बाग के रूप में अपने काम में लेता चला आ रहा है। इस हेतु तहसीलदार तहसील सिकराय द्वारा दिनांक 08.11.2013 को उक्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 238 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा में से अपीलांट संख्या 1 के हक में 1 बीघा भूमि नियमन करने हेतु अपनी अभिशंषा सहित उक्त दिनांक को वास्ते नियमन प्रकरण नियमन कमेटी को भिजवाने के आदेश पारित किये थे। प्रकरण को नियमन हेतु आंवटन सलाहकार समिति को प्रेषित कर दिया था। किन्तु सन् 2013 से उक्त प्रकरण में आवंटव सलाहकार समिति द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई जिस पर अपीलांट द्वारा एक एक रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के समक्ष उक्त खसरा नम्बर को आंवटन कराने हेतु पेश की जिसके रिट संख्या 7737/2014 है जो विचाराधीन है। फिर भी अधिनस्थ जिला कलेक्टर महोदय द्वारा समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2015 को पारित कर उक्त भूमि में से 3 बीघा 4 बिस्वां भूमि उप तहसील भवन कार्यालय के निर्माणार्थ बाग किस्म से खारिज कर आंवटित कर दी। मौके पर आम के पेड लगाकर अपना व अपना परिवार का जीवनयापन कर रहे हैं। जिसका अंकर सम्वत 2047 से लगाकर आज तक इन्द्राज कब्जे का चला आ रहा है। प्रतिवर्ष राजकीय शुल्क के अनुसार अपीलांट उक्त आराजी की लगान पैनल्टी जमा करवाते चले आ रहे हैं। अपीलांटस संख्या 1 द्वारा दिनांक 03.09.2013 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी जी सिकराय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत उक्त भूमि में से अपीलांट के कब्जे वाली भूमि 2 बीघा को नियमन करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार जी द्वारा पटवारी हल्का बहरावण्डा से जांच रिपोर्ट तलब की जिस पर पटवारी हल्का द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया कि उक्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा है तथा भूमि की वास्तविक किस्म बाग आम है। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है तथा भूमि नियमन योग्य है। उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर एवं समस्त दस्तावेजों को देखकर दिनांक 8.10.2013 को तहसीलदार सिकराय द्वारा अपीलांट के हक में भूमि के नियमन हेतु अपनी अभिशंषा कर नियमन कमेटी को नियमन हेतु प्रेषित कर दी। जिस पर आज तक नियमन कमेटी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। उक्त नियमन सिफारिश में तहसीलदार जी द्वारा समस्त तथ्यों को अंकित कर भिजवाई थी। उक्त भूमि में मौके पर आम के वृक्ष खडे हैं तथा अन्य भूमि जो कि पूर्व आंवटनशुदा खसरा नम्बर 1098 खाली पडी हुई है तथा अन्य भूमि भी ग्राम बहरावण्डा में खाली है। खसरा नम्बर 238 के नियम हेतु पूर्व में जब सिफारिश भिजवा दी गई थी तथा तहसीलदार द्वारा स्वंय ने अपीलांटस के हक में नियम की सिफारिश की है। फिर भी गलत रिपोर्ट भिजवाकर अपीलांट के साथ दोहरा रवैया अपनाया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश शून्य एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2013–14 की क्रियान्विति हेतु तहसीलदार (भूमिधारी) सिकराय का पत्र क्रमांक 290 दिनांक 19.02.2015 एवं उपखण्ड अधिकारी सिकराय का पत्र क्रमांक 169 दिनांक 23.02.2015 व 1468 दिनांक 5.9.2015 व उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय का पत्र क्रमांक 341 दिनांक 7.4.2015 प्राप्त हुआ। जिसके द्वारा ग्राम बहरावण्डा तहसील सिकराय स्थित राजकीय सिवायचक किस्म बाग भूमि खसरा नम्बर 238 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा में से 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि को नवसृजित उप तहसील कार्यालय बहरावण्डा जिला दौसा के कार्यालय भवन निर्माणार्थ आंवटन करने का प्रस्ताव प्रेषित किया। प्रस्तावित भूमि को उक्त प्रयोजनार्थ आंवटन करने के संबंध में ग्राम पंचायत बहरावण्डा पं.स. सिकराय द्वारा सर्वसम्मत प्रस्ताव सं. 3 दिनांक

Scanned by CamScanner

20.09.2013 पारित कर अनापत्ति प्रदान की गई। जिला कलक्टर दौसा के आदेश क्रमांकः आर11जीपी(180)2013/4532 दिनांक 23.06.2015 के द्वारा ग्राम पंचायत बहरावण्डा पं.स. सिकराय की अनापत्ति एवं उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय, तहसीलदार (भूमिधारी) सिकराय व उपखण्ड अधिकारी सिकराय की सिफारिश एवं अभिशंषा के आधार पर उनके कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक आर 11जीपी(180)2013/6348-6369 दिनांक 20.09.2013 को निरस्त किया जाकर नवीन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम बहरावण्डा तहसील सिकराय स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 238 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा में से 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि की किस्म बाग से खारिज कर नवसृजित उप तहसील बहरावण्डा तहसील जिला दौसा के कार्यालय भवन निर्माणार्थ (जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा) राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलो, कॉलेजो, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवारित राजकीय कृषि भूमि को आंवटन) नियम 1963 यथासंशोधित के प्रावधानों/शर्तो के अन्तर्गत आंवटित किये जाने के आदेश पारित किये गये। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्मत है। मौके पर भवन निर्माण किया जा चुका है। जिससे अपील निष्फल (Infructuous) हो चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार (भूमिधारी) सिकराय के पत्र दिनांक 19.02.2015 एवं उपखण्ड अधिकारी सिकराय का पत्र दिनांक 23.02.2015 व 1468 दिनांक 5.9.2015 व उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय का पत्र दिनांक 7.4.2015 प्रेषित किया गया। जिसके द्वारा ग्राम बहरावण्डा तहसील सिकराय स्थित राजकीय सिवायचक किस्म बाग भूमि खसरा नम्बर 238 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा में से 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि को नवसृजित उप तहसील कार्यालय बहरावण्डा जिला दौसा के कार्यालय भवन निर्माणार्थ आंवटन करने का प्रस्ताव प्रेषित किया। प्रस्तावित भूमि को उक्त प्रयोजनार्थ आंवटन करने के संबंध में ग्राम पंचायत बहरावण्डा पं.स. सिकराय द्वारा सर्वसम्मत प्रस्ताव सं. 3 दिनांक 20.09.2013 पारित कर अनापत्ति प्रदान की गई। जिला कलक्टर दौसा के आदेश दिनांक 23.06.2015 के द्वारा ग्राम पंचायत बहरावण्डा पं.स. सिकराय की अनापत्ति एवं उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय, तहसीलदार (भूमिधारी) सिकराय व उपखण्ड अधिकारी सिकराय की सिफारिश एवं अभिशंषा के आधार पर उनके कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश दिनांक 20.09.2013 को निरस्त किया जाकर नवीन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम बहरावण्डा तहसील सिकराय स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 238 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा में से 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि की किस्म बाग से खारिज कर नवसृजित उप तहसील बहरावण्डा तहसील जिला दौसा के कार्यालय भवन निर्माणार्थ (जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा) राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलो, कॉलेजो, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवारित राजकीय कृषि भूमि को आंवटन) नियम 1963 यथासंशोधित के प्रावधानों/शर्तों के अन्तर्गत आंवटित किये जाने के जाने के आदेश विधिसम्मत पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2015 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

<u>अतः</u> अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 23.06.2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner